

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई 2010—श्रावण 1, शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2010

क्र. ई. 5-670-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती अलका
उपाध्याय, आयएस, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन
विभाग को दिनांक 12 से 16 जुलाई 2010 तक, पांच दिन का
अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ
दिनांक 10 एवं 11 जुलाई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने
की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलका उपाध्याय को अस्थायी
रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अलका उपाध्याय को अवकाश
वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के
पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका उपाध्याय
अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2010

क्र. ई. 5-779-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रामकिंकर
गुप्ता, आयएस, सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर को
दिनांक 24 जून से 24 जुलाई 2010 तक, इकतीस दिन का अर्द्धवेतनिक
अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रामकिंकर गुप्ता को अस्थायी
रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश लोक
सेवा आयोग, इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) श्री रामकिंकर गुप्ता को अर्द्धवेतनिक अवकाश अवधि में, उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व के वेतन भत्तों का अर्द्धवेतन व भत्ते देय होंगे।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रामकिंकर गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2010

क्र. ई. 5-326-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. सिंघई, आयएस, संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 मई 2010 द्वारा दिनांक 2 से 11 जून 2010 तक, दस दिन के स्वीकृत एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 2 से 14 जून 2010 तक, तेरह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 मई 2010 की शेष कण्डिकायें यथावत् रहेंगी।

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2010

क्र. ई. 5-782-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री भरत कुमार व्यास, आय.ए.एस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 23 से 30 जून 2010 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री भरत कुमार व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री भरत कुमार व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भरत कुमार व्यास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2010

क्र. ई. 5-348-आयएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. राजन एस. कटोच, आय.ए.एस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह, परिवहन

विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 जून 2010 द्वारा दिनांक 14 से 26 जून 2010 तक, तेरह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 14 से 28 जून 2010 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 जून 2010 की शेष कण्डिकायें यथावत् रहेंगी।

क्र. ई. 5-762-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. पी. अहिरवार, आय.ए.एस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन एवं पशुपालन विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जून 2010 द्वारा दिनांक 15 जून से 6 जुलाई 2010 तक, बाईस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 15 से 30 जून 2010 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जून 2010 की शेष कण्डिकायें यथावत् रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. घन्त, अवर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2010

क्र. एफ. 1(ए)60-1993-ब-2-दो.—श्री आर. पी. सिंह, भापुसे., पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड, मुख्यालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 12 जुलाई से 13 अगस्त 2010 तक, कुल तैंतीस दिवस का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 10, 11 जुलाई एवं 14, 15 अगस्त 2010 के विज्ञप्त अवकाश जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री आर. पी. सिंह, भापुसे की उक्त अवकाश अवधि में उनके पद का कार्य श्री विशद तिवारी, एडीशनल कमाण्डेंट जनरल, होमगार्ड, मुख्यालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड, मुख्यालय, मध्यप्रदेश जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आर. पी. सिंह, भापुसे द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड, मुख्यालय, मध्यप्रदेश जबलपुर के पद का कार्यभार ग्रहण करने पर अवकाश अवधि में उनका कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी उक्त पद के कार्य से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री आर. पी. सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. पी. सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. 1(ए)400-88-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, रा.अ.अ. ब्यूरो, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 30 जून से 11 जुलाई 2008 तक, कुल बारह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 29 जून 2008 एवं 12, 13 जुलाई 2008 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ तथा दिनांक 12 से 18 जुलाई 2008 तक, कुल सात दिवस एवं दिनांक 28 जुलाई से 4 अगस्त 2008 तक, कुल आठ दिवस के लघुकृत अवकाश की कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री पुरुषोत्तम शर्मा, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2010

क्र. एफ-1(ए)150-1990-ब-2-दो.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 2 जून 2010 द्वारा श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, महानिरीक्षक, जेल, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 17 मई से 11 जून 2010 तक, कुल छब्बीस दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति दिनांक 12 एवं 13 जून 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ते हुए प्रदान की गई थी।

(2) राज्य शासन द्वारा श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, को उपरोक्तानुसार स्वीकृत किये गये अर्जित अवकाश में से दिनांक 7 से 11 जून 2010 तक, कुल पांच दिवस के अर्जित अवकाश का उपभोग न करने के कारण उक्त अवधि का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।

(3) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 2 जून 2010 की शेष कण्डिकाएं यथावत् रहेगी।

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2010

क्र. एफ-1(ए)107-86-ब-2-दो.—श्री विजय कुमार सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (अजाक), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 1 अगस्त 2010 के विज्ञप्त अवकाश लाभ सहित दिनांक 2 से 5 अगस्त 2010 तक, कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश (एक्स इंडिया) निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) श्री विजय कुमार सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में श्रीमती अरूणा मोहन राव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (अजाक), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अजाक), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) श्री विजय कुमार सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (अजाक), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अरूणा मोहन राव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (अजाक), पुलिस मुख्यालय, भोपाल उक्त पद के प्रभार से मुक्त होंगे।

(4) अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक (अजाक), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(5) अवकाशकाल में श्री विजय कुमार सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कुमार सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे।

क्र. एफ-1(ए)145-90-ब-2-दो.—श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर, जोन ग्वालियर को मित्र की पुत्री के विवाह संबंध में वर्कशायर इंग्लैण्ड (यू.के.) जाने हेतु दिनांक 25 जुलाई 2010 के विज्ञप्त अवकाश लाभ सहित दिनांक 14 से 24 जुलाई 2010 तक, कुल ग्यारह दिवस का अर्जित अवकाश

निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, की अवकाश अवधि में श्री आलोक रंजन, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर, जोन ग्वालियर को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर, जोन ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर, जोन ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आलोक रंजन, भापुसे, उक्त पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री अरविन्द कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर, जोन ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) अवकाशकाल में श्री अरविन्द कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरविन्द कुमार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे.

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2010

क्र. एफ-1(ए)272-80-ब-2-दो.—श्री आर. सी. अरोरा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 1 अगस्त 2010 के विज्ञप्त अवकाश लाभ सहित दिनांक 2 से 5 अगस्त 2010 तक, कुल 4 दिवस का अर्जित अवकाश (एक्स इंडिया) निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) श्री आर. सी. अरोरा, भापुसे की अवकाश अवधि में श्री के. एन. तिवारी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, भोपाल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) श्री आर. सी. अरोरा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. एन. तिवारी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, भोपाल उक्त पद के प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. अरोरा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) अवकाशकाल में श्री आर. सी. अरोरा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. सी. अरोरा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजन कटोच, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2010

क्र. एफ-1(ए)165-1989-ब-2-दो.—श्री यू. सी. षडंगी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 3 जून 2010 द्वारा दिनांक 31 मई से 5 जून 2010 तक, छः दिवस के अर्जित अवकाश दिनांक 30 मई एवं 6 जून 2010 के विज्ञप्त अवकाश का लाभ सहित स्वीकृत किया गया है. स्वीकृत अवकाश से अधिक अवकाश लाभ लिये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन द्वारा उन्हें दिनांक 6 से 11 जून 2010 तक, छः दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 12 एवं 13 जून 2010 के विज्ञप्त अवकाश सहित स्वीकृत किया जाता है.

(2) राज्य शासन द्वारा श्री यू. सी. षडंगी, भापुसे को दिनांक 12 से 16 जुलाई 2010 तक, पांच दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 10-11 एवं 17-18 जुलाई 2010 के विज्ञप्त अवकाश लाभ सहित स्वीकृत किया जाता है.

(3) श्री यू. सी. षडंगी, भापुसे, की दिनांक 10-18 जुलाई 2010 तक अवकाश अवधि में श्री योगेश मुदगल, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(4) यू. सी. षडंगी, भापुसे, द्वारा पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर, उप पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाश से लौटने पर श्री यू. सी. षडंगी, भापुसे को स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(6) अवकाशकाल में श्री यू. सी. षडंगी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यू. सी. षडंगी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश ओगरे, अवर सचिव.

सामाजिक न्याय विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2010

क्र. एफ 2-73-2010-छब्बीस-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का सं. 56) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, प्रधान मजिस्ट्रेटों को पदानिहित करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिलों के नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	बड़वानी	बड़वानी	श्रीमती उषा गेडाम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी
2	दमोह	दमोह	श्रीमती नीलम मिश्रा, जे. एम. एफ. सी., दमोह

(1)	(2)	(3)	(4)
3	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	कु. समीक्षा सिंह, जे. एम. एफ. सी., नरसिंहपुर
4	पन्ना	पन्ना	श्रीमती सिद्धी मिश्रा, जे. एम. एफ. सी., पन्ना
5	राजगढ़	राजगढ़	श्री शमरोज खान, जे. एम. एफ. सी., राजगढ़
6	सिवनी	सिवनी	श्रीमती कृष्णा परस्ते, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवनी.

No. F-2-73-2010-XXVI-2.—In exercise of the power conferred by sub section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2000 (No. 56 of 2000) the State Government hereby designates Principal Magistrates in the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of the Schedule below for the Districts as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act, namely :—

SCHEDULE-I

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the Districts	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Barwani	Barwani	Smt. Usha Gedam, Chief Judicial Magistrate, Barwani
2	Damoh	Damoh	Smt. Neelam Mishra, JMFC, Damoh
3	Narsingpur	Narsingpur	Ku. Samiksha Singh, JMFC, Narsingpur
4	Panna	Panna	Smt. Siddhi Mishra, JMFC, Panna
5	Rajgarh	Rajgarh	Shri Shamroj Khan, Chief Judicial Magistrate, Rajgarh
6	Seoni	Seoni	Smt. Krishna Paraste, Chief Judicial Magistrate, Seoni.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीणा तेलंग, उपसचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2010

क्र. एफ 22-31-10-आठ.— भारत शासन भूतल परिवहन मंत्रालय क्रमांक एसओ 444 (ई), दिनांक 12 जून 1989 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को पंजीयन चिन्ह के उपयोग के लिये उसके समक्ष कॉलम (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट कोड नंबर आवंटित करती है :—

सारणी

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी	कोड नंबर
(1)	(2)
अनूपपुर	एम. पी.-65
सिंगरौली	एम. पी.-66
अशोकनगर	एम. पी.-67
बुरहानपुर	एम. पी.-68
अलीराजपुर	एम. पी.-69

No. F-22-31-10-VIII.—In pursuance of Government of India Ministry of Surface Transport Notification S. O. 444(e), dated 12th June 1989. The State Government hereby allot to the registering authority specified in column (1) of the Table below, the code no specified in the column (2) there of for use in registration, mark :—

TABLE

Registering authority	Code No.
(1)	(2)
Anuppur	MP-65
Singroli	MP-66
Ashok Nagar	MP-67
Burahnpur	MP-68
Alirajpur	MP-69

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप राज द्विवेदी, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2010

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक).— भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1)

द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 23 जून 2010 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा, श्री दीप कुमार केसरवानी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर को, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के अधीन अन्वेषण किये गए मामलों के विचारण करने के लिये, नीचे विनिर्दिष्ट किये गए राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, जिनका मुख्यालय जबलपुर होगा, अर्थात् :—

राजस्व जिले

- (1) जबलपुर, (2) नरसिंहपुर, (3) दमोह, (4) सिवनी,
(5) सतना, (6) पन्ना, (7) शहडोल, (8) कटनी.

F- No. 1-5-96-XXI-B (One) .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) and in supersession of this Department's Notification F. No. 1-5-96-XXI-B(One), dated 23rd June 2010, the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby appoints Shri Deep Kumar Kesarwani, Additional Sessions Judge, Jabalpur as a Special Judge with Head Quarter at Jabalpur for the areas comprising in the revenue districts specified below to try the cases in regard to the offences specified in clause (a) and (b) of sub-section (1) of Section 3 of the said Act investigated under Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946), by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation namely :—

Revenue Districts

- (1) Jabalpur, (2) Narsinghpur, (3) Damoh, (4) Seoni,
(5) Satna, (6) Panna, (7) Shahdol, (8) Katni.

फा. क्र. 1-7-81-इक्कीस-ब(एक).—मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (क्रमांक 36, सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (1), (1-क) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-7-81-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 19 मई, 1981, को जहां तक कि उसका संबंध ग्वालियर में विशेष न्यायालयों के गठन से है और जो उसी दिन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुई थी, आंशिक अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित निम्नलिखित विशेष न्यायालयों का उक्त सारणी के कॉलम (3) में दर्शाए गए क्षेत्रों के अधीन आने वाले

मामलों के विचारण के संबंध में गठन करता है, अर्थात् :—

अनु क्रमांक	विशेष न्यायालय	क्षेत्र	(1)	(2)	(3)
(1)	(2)	(3)			the Special Courts at serial No. 2, 3 and 4 under Sessions Division Gwalior.
1.	पंचम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर का न्यायालय.	ग्वालियर सेशन खण्ड के अधीन विशेष न्यायालय अनुक्रमांक 2, 3 तथा 4 पर दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर ग्वालियर सेशन खण्ड के समस्त क्षेत्र.	2	Court of II nd Additional Sessions Judge, Gwalior	Police Station Murar, Jhansi Road, Campu, Janakganj, Gola ka Mandir, Bahodapur, Mahila Thana Padav, GRP (BG, NG) RPF under Sessions Division Gwalior.
2.	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर का न्यायालय.	ग्वालियर सेशन खण्ड के अधीन पुलिस थाना मुरार, झांसी रोड, कम्पू. जनकगंज, गोला का मंदिर बहोड़ापुर, महिला थाना पड़ाव, जी. आर. पी. (बी. जी., एन. जी.) आर. पी. एफ.	3.	Court of III rd Additional Sessions, Judge, Gwalior	Police Stations Ghatigaon, Mohana, Purani Chawni, Tigra, Panihar, Behat, Bijoli, Bhawarpura, Maharajpura, Hastinapur, Aroni and Utila under Sessions Division Gwalior.
3.	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर का न्यायालय.	सेशन खण्ड ग्वालियर के अधीन पुलिस थाना घाटीगांव, मोहना, पुरानी छावनी, तिगरा, पानिहार, बेहट, बिजौली, भंवरपुरा, महाराजपुर, हस्तिनापुर, अरोनी तथा उटीला.	4.	Court of I ¹ th Additional Sessions Judge, Dabra	Police Stations , Dabra Pichore, Antri, Billoa, Gizzora, Bhitwarwar, Ballgada, Kaariya and Chinnore, under Sessions Division Gwalior.
4.	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, डबरा का न्यायालय.	सेशन खण्ड ग्वालियर के अधीन पुलिस थाना डबरा, पिछौर, आंतरी बिलौआ, गिजोरा, भितरवार, बेलगढ़ा, करिया तथा चिनौर.			

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. भिष्मा, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2010

फा. क्रमांक 17(ई)131-इक्कीस-ब(दो) 10.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 299 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश को ई-भुगतान प्रणाली से, जो कि वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन की परियोजना है, संबंधित संविदा/करार निष्पादित करने हेतु प्राधिकृत करते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2010

पू. क्रमांक 17(ई)131-इक्कीस-ब(दो) 10.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (1)के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 जुलाई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

TABLE

No. (1)	Special Court (2)	Area (3)
1	Court of V th Additional Sessions Judge, Gwalior	All areas of Gwalior Sessions Divison excluding the territorial jurisdiction given to

Bhopal, the 9th July 2010

F. No. 17-E-131-XXI-B(II)-2010.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 299 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby authorises Commissioner, Treasuries and Accounts, Madhya Pradesh for executing contracts/agreements relating to E-payment system which is a project of Department of Finance, Government of Madhya Pradesh.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,
A. J. KHAN, Secy.

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2010

फा. क्रमांक 1(बी)3-2004-इक्कीस-ब(दो).—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 जून 2010 जिसके पृष्ठांकन प्रतिलिपि में टंकित त्रुटि हो जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश को निरस्त किया जाता है. राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 अक्टूबर 2004 एवं 16-7-2004 द्वारा नियुक्त निम्न. शा. अभिभाषक/लेखाधि. अति. लोक अभि. शास. अभिभाषक/अति.लोक अभियोजक, देवास के कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक से कार्यकाल में तीन वर्ष की वृद्धि करता है. यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है—

1. श्री गिरीश मुंगी, शा. अभिभाषक/लोक अभियोजक, देवास, दिनांक 6-10-2004 से प्रथम तीन वर्ष 6-10-2007 तदुपरान्त पुनः तीन वर्ष दिनांक 6 अक्टूबर 2010 तक.
2. श्री गजेन्द्र वशिष्ठ, अति.शा. अभिभाषक/अति.लोक अभियोजक, देवास, दिनांक 16 जुलाई 2004 से प्रथम तीन वर्ष 16 जुलाई 2007 तदुपरान्त पुनः तीन वर्ष दिनांक 16 जुलाई 2010 तक.
3. श्री हेमन्त शर्मा, अति. शा.अभिभाषक/अति.लोक अभियोजक, देवास, दिनांक 16 जुलाई 2004 से प्रथम तीन वर्ष 16 जुलाई 2007 तदुपरान्त पुनः तीन वर्ष दिनांक 16 जुलाई 2010 तक.
4. श्री जगदीश वर्मा, अति. शा.अभिभाषक/अति.लोक अभियोजक, देवास, दिनांक 16 जुलाई 2004 से प्रथम तीन वर्ष 16 जुलाई 2007 तदुपरान्त पुनः तीन वर्ष दिनांक 16 जुलाई 2010 तक.
5. श्री गोपाल चन्द्र तिवारी, अति. शास. अभिभाषक/अति.लोक अभियोजक, देवास, दिनांक 16 जुलाई 2004 से प्रथम तीन वर्ष 16 जुलाई 2007 तदुपरान्त पुनः तीन वर्ष दिनांक 16 जुलाई 2010 तक.
6. श्री हिमलेश शर्मा, अति. शास. अभिभाषक/अति.लोक अभियोजक, तहसील सोनकच्छ, दिनांक 16 जुलाई 2004 से प्रथम तीन वर्ष 16 जुलाई 2007 तदुपरान्त पुनः तीन वर्ष दिनांक 16 जुलाई 2010 तक.

7. श्री भगवान सिंह चूड़ावत, अति. शा.अभिभाषक/अति.लोक अभियोजक, तहसील कन्नौद, दिनांक 16 जुलाई 2004 से प्रथम तीन वर्ष 16 जुलाई 2007 तदुपरान्त पुनः तीन वर्ष दिनांक 16 जुलाई 2010 तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2010

क्र. 1770-एफ-10-70-07-तेईस-यो.आ.सां.—मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) की धारा 4 (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के जिला झाबुआ तथा जिला सीधी की जिला योजना समितियों में, अशासकीय सदस्यों की संख्या का निर्धारण क्रमशः 10, 10 किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. कबीरपंथी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2010

क्र. 1771-एफ-10-70-07-तेईस-यो.आ.सां.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3)के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-10-70-07-तेईस-यो.आ.सां. दिनांक 16 जुलाई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. कबीरपंथी, उपसचिव.

Bhopal the 16th July 2010

No. 1772-F.10-70-07-XXIII-P.E.S.—In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of section 4 of Madhya Pradesh Zila Yojana Samiti Adhiniyam 1995 (No. 19 of 1995) the State Government hereby declares that there shall be 10 non-official members in the each of District Planning Committees of districts Jhabua and Sidhi.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,
G. P. KABIRPANTHI, Dy.Secy.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2010

क्र. एफ-11-4-2009-तीस.—राज्य शासन द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक को राज्य शासन द्वारा संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के राज्य सरकार के आशय के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित करते हुये, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्क्योलॉजीकल साइट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन मध्यप्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना क्रमांक एफ 11-4-09-तीस, दिनांक 18 जनवरी 2010 को प्रकाशित की गई थी और चूंकि उस निमित्त कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्क्योलॉजीकल साइट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964)की धारा 3 की उपधारा (1) एवं धारा 16-में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है।

अतएव, राज्य शासन मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1976 के नियम, 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, प्रदेश के समस्त राज्य शासन संरक्षित स्मारकों के समीप और पार्श्व क्षेत्र में संरक्षित सीमा से 100 मीटर तक और उससे परे 200 मीटर तक के क्षेत्र को खनन और निर्माण दोनों प्रयोजनों के लिए प्रतिबंधित और विनियमित क्षेत्र घोषित करता है :—

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र	स्मारक का नाम	राज्यस्वीय क्षेत्र जो संरक्षण में सम्मिलित होना है	क्षेत्र सीमांक	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	शिवपुरी	पिछौर	कुण्डलपुर ग्राम मऊकुण्डरछा	मध्ययुगीन दो बुर्ज एवं प्राचीन मंदिर, मण्डप, कुण्ड व स्थल पर पड़ी प्राचीन मूर्तियां	खसरा नं. पटवारी हल्का नंबर 244 245 246 247 248 249 250	0.010 0.050 0.270 0.020 0.120 0.010 0.010	शासकीय शासकीय निजी निजी शासकीय शासकीय शासकीय	हां.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वीना वर्मा, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2010

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब-(एक).—स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का सं. 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 3 अप्रैल 1998 में, जो "मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1"

दिनांक 17 अप्रैल 1998 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :—

संशोधन

(1) उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 2, 38, 46-1 और 47-1 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां क्रमशः स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)
2	श्रीमती शशिकला चन्द्रा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन
38	श्री विनोद कुमार दुबे (सीनियर) विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम, 1989 रतलाम	रतलाम	रतलाम
46-1	श्री वी. एल. झा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम, 1989, नीमच	नीमच	नीमच
47-1	श्री अवनिन्द्र कुमार सिंह, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कटनी.	कटनी	कटनी”.

(2) यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जिसको कि अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F.No. 1-6-89-XXI-B(1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 1-6/89-XXI-B(I) dated 3rd April, 1998, which was published in the “ Madhya Pradesh Gazette Part-I” dated 17th April, 1998, namely :—

AMENDMENTS

In the said Notification, in the Schedule, for serial numbers 2, 38, 46-1 and 47-1 and entries relating therero, the following serial numbers and entries relating thereto shall respectively be substituted, namely :—

S. No.	Name and designation of the Judge	Special Court	Local area/Session division
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Smt. Shashi Kala Chandra, 1st Additional Sessions Judge, Ujjain.	Ujjain	Ujjain
38.	Shri Vinod Kumar Dubey (Senior) Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Ratlam.	Ratlam	Ratlam
46-1	Shri V. L. Jha, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Neemuch.	Neemuch	Neemuch
47-1.	Shri Avnindra Kumar Singh, Additional Sessions Judge, Katni.	Katni	Katni.”.

2. This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in the Notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)—462 011

आदेश

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2010

क्र. एफ. 2-01-2010-एक-927.—मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा डॉ. सुतेश शाक्या, निज सचिव को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्टॉफ आफिसर के पद पर वेतनमान रुपये 10,000-325-15,200/-पुनरीक्षित वेतनमान रुपये 15,600-39,100+6,600/- में पदोन्नत किया जाता है।

2. आयोग में स्टाफ अधिकारी का पद एकांकी पद है। अतः मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2002-3-1, दिनांक 6 जुलाई 2002 के अनुसार इस पद पर आरक्षण एवं आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होगा।

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा बिट्टन मार्केट, भोपाल

भोपाल दिनांक 15 जुलाई 2010

क्र. 1844 मप्रविनिआ-2010.—विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 87(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 2159-विनिआ-04, दिनांक 10 अगस्त, 2004 एवं अधिसूचना क्रमांक 1425-विनिआ-2006, दिनांक 3 जून, 2006 को विलोपित करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, एतद्वारा, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की दिनांक से राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन करता है।

2. राज्य सलाहकार समिति का उद्देश्य आयोग को विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 88 में परिभाषित विषयों पर सलाह देना होगा।

3. राज्य सलाहकार समिति की कार्यप्रणाली आयोग द्वारा बनाये गये “राज्य परामर्श-दात्री समिति का गठन एवं उसकी कार्यप्रणाली विनियम, 2004” द्वारा शासित होगी।

4. राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से तीन वर्ष का होगा।

5. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण, राज्य सलाहकार समिति के क्रमशः पदेन अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे तथा राज्य सरकार के प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मंत्रालय, भोपाल भी समिति के पदेन सदस्य होंगे। राज्य सलाहकार समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे—

क्रमांक (1)	सदस्य का नाम (2)	पता (3)	वर्ग (4)
1	डॉ. भावना झारिया	प्रवाचक (इलेक्ट्रानिक्स), शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जबलपुर.	शैक्षणिक एवं अनुसंधान
2	श्री चन्द्रकांत गौर	कृषक, हरदा द्वारा भारतीय किसान संघ, 103/4, शिवाजी नगर, भोपाल.	कृषि

(1)	(2)	(3)	(4)
3	श्री आर. के. मिश्रा	मुख्य विद्युत् वितरण अभियंता द्वारा महाप्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल्वे, तृतीय तल, महाप्रबंधक भवन, इंदिरा मार्केट, जबलपुर (म. प्र.) 482068.	परिवहन
4	श्री द्वारिका गुप्ता	विंध्य चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, श्रीमान चौक बाजार, सतना—485001.	उद्योग
5	श्री एम. के. देब	कंसोलिडेटेड इनर्जी कंसलटेंट्स लिमिटेड, इनर्जी टावर, 64-बी सेक्टर, चेतक पुल के समीप, गोविंदपुरा, भोपाल (म. प्र.).	वाणिज्य एवं उद्योग
6	श्री गौतम कोठारी	श्रेयांस, 231, साकेत नगर, इंदौर 452018.	उद्योग
7	श्री हेमंत तिवारी	मध्यप्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ बी-138, पैलेस ऑर्चर्ड, कोलार रोड, भोपाल.	श्रमिक/कर्मचारी
8	श्री खालिद रहमान	ग्वालियर इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, मेसर्स नूर टैक एण्ड फैब प्रा. लिमिटेड, रेल्वे लाईन के समीप, औद्योगिक क्षेत्र, ग्वालियर (म. प्र.).	उद्योग
9	श्री मनोहर चौधरी	किसान विकास मंच समिति जिला बुरहानपुर, कृषि भवन, कृषि उपज मण्डी, बुरहानपुर (म. प्र.).	कृषि
10	डॉ. प्रवीण अग्रवाल	सजग प्रकोष्ठ समिति श्री बृजभूषण हाऊस, दौलतगंज, ग्वालियर 474001.	उपभोक्ता
11	श्री राधवैय्या	केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान, गोविन्दपुरा, भोपाल.	शैक्षणिक एवं अनुसंधान
12	श्री राहुल दोन्दे	अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत खेरमाई मंदिर, राइट टाउन, जबलपुर.	गैर-शासकीय संगठन
13	श्री एस. एस. रघुवंशी	वरिष्ठ नागरिक मण्डल, ई-6/2, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016.	उपभोक्ता
14	श्री सुरेश कुमार गोपीकिशन अग्रवाल	छिन्दवाड़ा चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, गांधी गंज, छिंदवाड़ा 480002.	वाणिज्य
15	श्री श्यामबाबू अग्रवार	राजधानी वस्त्र व्यवसायी संघ, राजधानी भवन, लालसिंह पार्क, 39 लखेरापुरा, भोपाल.	वाणिज्य
16	डॉ. वीरेन्द्र कुमार गंगवाल	फेडरेशन ऑफ एम. पी. चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, उद्योग भवन, द्वितीय तल, 129-ए मालवीय नगर, भोपाल 462003.	वाणिज्य

(1)	(2)	(3)	(4)
17	श्री विपिन कुमार जैन	म. प्र. लघु उद्योग संघ, ई-2/30 अरेरा कालोनी, महावीर नगर, भोपाल 462016.	उद्योग

6. आयोग के सचिव राज्य सलाहकार समिति के पदेन सचिव होंगे.

आयोग के आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव.

Bhopal, dated 15th July, 2010

No. 1844-MPERC-2010.—In exercise of powers under Section 87(1) of Electricity Act, 2003 and in supersession of earlier notification No. 2159-MPERC-2004, dated 10th August, 2004 and Notification No. 1425-MPERC-2006, dated 3rd June, 2006, the Commission hereby re-establishes the State Advisory Committee from the date of publication of this notification in the M. P. Official Gazette.

2. The object of the State Advisory Committee shall be to advise the Commission on the matters listed under section 88 of the Electricity Act, 2003.

3. The functioning of the State Advisory Committee shall be governed by the MPERC Constitution of State Advisory Committee and its functioning Regulation 2004.

4. The term of post of Members of the State Advisory Committee shall be three years from the date of publication of the notification in the official gazette.

5. The Chairman and the Members of the Commission shall be ex-officio Chairman and Members of the State Advisory Committee respectively and Principle Secretary of Food, Civil Supplies and Consumers Protection, GoMP shall also be the ex-officio member of the Committee. The rest of the Members of the State Advisory Committee shall be as follows :—

S. No. (1)	Name (2)	Address (3)	Category (4)
1	Dr. Bhawana Jharia	Reader (Electronics), Government Engineering College, Jabalpur	Academic & Research
2	Shri Chandrakant Gaur	Farmer, Harda C/o Bhartiya Kisan Sangh, 103/4, Shivaji Nagar, Bhopal	Agriculture
3.	Shri R. K. Mishra	Chief Electrical Distribution Engineer, C/o General Manager West Central Railway, 3rd Floor, GM's Building Indira market, Jabalpur (M. P.) 482 068	Transport
4	Shri Dwarika Gupta	Vindhya Chamber of Commerce and Industries, Shriman Chowk Bazar, Satna-485 001 (M.P.)	Industry

(1)	(2)	(3)	(4)
5	Shri M. K. Deb	Consolidated Energy Consultants Ltd. Energy Tower, 64-B-Sector, Near Chetak Bridge, P. O. Govindpura, Bhopal (M. P.)	Commerce & Industry
6	Shri Gautam Kothari	Shreyas, 231, Saket Nagar Indore-452 018	Industry
7	Shri Hemant Tiwari	Madhya Pradesh Bijli Karmachari Mahasangh, B-138, Palace Orchard, Kolar Road, Bhopal.	Labour/Employee
8	Shri Khalid Rehman	Gwalior Industries Association, M/S Noor Tech & Feb. Pvt., Ltd., Near Railway Line, Industries Area, Gwalior (M.P.)	Industry
9	Shri Manohar Choudhary	Kisan vikas Munch Samiti, Zila Burhanpur, Krishi Bhawan, Upaj Mandi, Burhanpur (M.P.)	Agriculture
10	Dr. Praveen Agrawal	Sajag Prakoshtha Samiti, Sri Brijbhushan House, Daulatganj, Gwalior-474001	Consumers
11	Shri B. V. Raghavaiah	Central Power Research Institute, Govindpura, Bhopal	Academic & Research
12.	Shri Rahul Donde	Akhil Bharatiya Grahak Panchayat, Khermai Mandir, Wright Town, Jabalpur.	NGO
13	Shri S. S. Raghuvanshi	Varishtha Nagrik Mandal, E-6/2, Arera Colony, Bhopal	Consumers
14	Shri Suresh Kumar Gopikishan Agrawal	Chhindwara Chamber of Commerce & Industries, Gandhi Gunj, Chhindwara-480002	Commerce
15	Shri Shyambabu Agrawal	Rajdhani Vastra Vyavasayi Sangh, Rajdhani Bhawan, Lalsingh park, 39 Lakherapura, Bhopal	Commerce
16	Dr. Virendra Kumar Gangwal	Federation of M. P. Chamber of Commerce and Industry, Udyog Bhawan, IInd Floor, 129-A, Malviya Nagar, Bhopal 462 003	Commerce
17	Shri Vipin Kumar Jain	M. P. Laghu Udyog Sangh, E-2/30 Arera Colony, Mahavir Nagar, Bhopal-462 016	Industry

6. Secretary to the Commission shall be the ex-officio Secretary to the State Advisory committee.

By order of the Commission,
P K. CHATURVEDI, Commission Secy.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 30 जून 2010

क्र. 887-भू-अर्जन-34-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	खिरकिया	पड़वा पटवारी हल्का 29.	0.405 हे./ 1.00 एकड़	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया.	माचक उपनहर की छीपाबड़ माईनर निर्माण हेतु संशोधित प्रस्ताव.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन, हरदा/अनुविभागीय अधिकारी, खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जॉन किंगसली ए.आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 5 जुलाई 2010

प्र. क्र. 02-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुका	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		खसरा नम्बर	कुल रकबा	अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
रायसेन	बेगमगंज टिकारी.	2	0.591	0.200	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 01, सागर.	जलाशय योजना
		4	0.271	0.271		
		6	1.352	0.160		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		9	0.817	0.600	
		10	0.926	0.080	
		100	0.656	0.656	
		7/4	0.117	0.117	
		7/6	1.214	0.163	
		8	0.210	0.190	
		101/1	0.631	0.631	
		101/2	0.146	0.146	
		102	0.340	0.340	
		103	0.142	0.142	
		124	1.623	1.623	
		125	0.825	0.825	
		151/125	1.834	1.834	
		152/125	0.833	0.833	
		104	0.409	0.409	
		105	2.016	1.200	
		106	0.332	0.332	
		107	0.166	0.166	
		108	0.332	0.332	
		111/1	0.315	0.315	
		112/1	0.210	0.210	
		113/2	1.782	1.497	
		113/1	0.243	0.243	
		114	1.061	1.061	
		145/113/1	0.243	0.243	
		109	0.202	0.202	
		110	0.166	0.166	
		111/2	0.315	0.315	
		112/2	1.214	1.214	
		144/113/1	0.543	0.543	
		145/113/2	0.720	0.720	
		116	0.259	0.259	
		118	0.777	0.777	
		119	0.275	0.275	
		120	0.364	0.364	
		122	0.142	0.142	
		121/2/2/1	1.497	1.497	
		121/2/1/2/2	1.497	0.400	
		121/2/1/1	1.537	1.123	
		121/2/2/1	1.497	1.110	
		126	1.157	1.157	
		127	6.945	6.945	
		128	0.300	0.300	
		129	1.757	1.757	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		130	4.270	4.270	
		148/123	1.598	1.598	
		131/2	1.200	1.200	
		146/124	0.368	0.368	
		योग . .	48.237	41.521	

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बेगमगंज, जिला रायसेन में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 5 जुलाई 2010

क्र. 508-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

अर्जन हेतु सम्पादित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	रकबा	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
शाजापुर	नलखेड़ा	3 एल माईनर निजी भूमि ग्राम रिण्डोली.	0.28	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, आगर.	बिजनाखेड़ी तालाब की माईनर 3 एल एवं टेल माईनर के निर्माण हेतु.
		3 एल माईनर निजी भूमि ग्राम टोलक्याखेड़ी.	2.28		
		योग . . 3 एल माईनर	2.56		
		टेल माईनर निजी भूमि ग्राम रिण्डोली.	0.29		
		टेल माईनर निजी भूमि ग्राम कोहडिया.	2.32		
		योग : टेल माईनर	2.61		
		महायोग . . 3 एल माईनर एवं टेल माईनर.	5.17		

नोट—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, शाजापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सुसनेर-नलखेड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शेखर वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 7 जुलाई 2010

क्र. क-996-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
(1)	(2)	(3)	कुल खसरा नं. (4)	कुल रकबा (हे. में) (5)	(6)	(7)
सागर	बीना	किरौद	7	1.93	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/स सागर संभाग क्र. 1.	बीना-कुरवाई मार्ग से बीना आगासौद कंजिया मार्ग किरौद से किरावदा मार्ग.
		कालूखेड़ी	15	2.34		
		मुड़ियानायक	21	5.34		
		भिलावली	24	2.55		
		किरावदा	8	1.20		
		कुल योग	75	13.36		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, बीना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 8 जुलाई 2010

क्र. 8अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	इछावर	बोरदीकलॉ	12.62 एकड़ 5.107 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	बोरदीकलॉ जलाशय के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अ.वि.अ/भू-अर्जन अधिकारी, इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अविअ कार्यालय, इछावर में प्रस्तुत कर सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजयसिंह गंगवार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 8 जुलाई 2010

क्र. 18-अ-82-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
ग्वालियर	घाटीगांव	पार	4.910	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग डबरा, जिला ग्वालियर। हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन।

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 19-अ-82-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	बनवार	24.509	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग डबरा, जिला ग्वालियर। हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन।

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 20-अ-82-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	पुराबनवार	1.672	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 21-अ-82-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	घाटीगांव	झांकरी	20.195	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 22-अ-82-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	घाटीगांव	पिपरउआ	3.062	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 14 जुलाई 2010

क्र. 7-अ-82-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	द्वारिकागंज	12.110	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र 2, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

फार्म एक (3)

हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर R.D. 72.88 किमी. से 110 किमी. के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

सर्वे क्र.	सर्वे क्र. का कुल रकबा	नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा
338 मि.-1	0.290	0.25
338 मि.-2	0.100	0.100
336	0.350	0.01
337	0.200	0.02
342	0.320	0.32
346	0.560	0.340
347	1.080	0.410
352	0.800	0.330
353 मि.-1	0.640	0.390
382	2.010	1.05
396	3.340	0.17
397	1.400	0.36
398	1.400	0.52
355	1.050	0.38
354	1.080	0.74
349	0.450	0.160
348	0.450	0.14
344	0.450	0.13
328	0.620	0.020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		339	0.040	0.040	
		343	0.230	0.230	
		387	1.770	0.90	
		356	0.580	0.16	
		343/426	0.360	0.29	
		421	1.090	0.760	
		340	0.04	0.02	
		341	0.67	0.03	
		399	4.96	1.30	
		401	0.49	0.49	
		394 मि.-3	0.84	0.61	
		393	1.34	0.72	
		391	3.14	0.02	
		383	0.84	0.12	
		388	1.14	0.58	
		कुल . .		12.11	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 8-अ-82-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	टांकोली	2.480	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, जिला ग्वालियर.

[फार्म एक (3)]

हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर R.D. 72.88 किमी. से 110 किमी. के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

सर्वे क्र.	सर्वे क्र.	नहर में आने का कुल क्षेत्र का रकबा	रकबा
498	0.690	0.01	
500	0.850	0.20	
501	1.120	0.01	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		508	0.210	0.17	
		509	0.420	0.37	
		511	0.630	0.37	
		519	0.310	0.07	
		507 मि. 1	0.260	0.16	
		510	0.210	0.19	
		516	0.520	0.37	
		517	0.520	0.32	
		529	1.390	0.020	
		564	1.000	0.100	
		507/2	0.260	0.12	
		कुल . .		2.48	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 9-अ-82-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	निढ़ावली	9.330	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 जिला ग्वालियर	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

[फार्म एक (3)]

हरसी उच्चस्तरीय मुख्य
नहर R.D. 72.88 किमी.
से 110 किमी. के निर्माण
हेतु आने वाली कृषकों
की भूमि का मुआवजा
निर्धारण प्रस्ताव

सर्वे क्र.	सर्वे क्र. का कुल रकबा	नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा
599	0.600	0.03
600	0.420	0.21
601	0.110	0.11
602/1	0.61	0.08
603	0.790	0.31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		609	0.210	0.18	
		610	0.640	0.37	
		615	0.560	0.46	
		617	1.250	0.87	
		618	0.490	0.43	
		619	0.290	0.27	
		629	0.480	0.08	
		668	1.750	0.32	
		669	1.490	0.43	
		674	0.840	0.28	
		790	0.840	0.53	
		785	1.070	0.20	
		786	0.730	0.13	
		788	0.420	0.40	
		789	0.900	0.45	
		791	0.270	0.03	
		795	0.270	0.10	
		796	0.270	0.11	
		797	0.170	0.17	
		798	0.140	0.14	
		799	0.130	0.05	
		800	0.380	0.25	
		801	0.530	0.37	
		802	0.450	0.37	
		630	1.690	0.52	
		602/2	0.220	0.22	
		602/3	0.070	0.070	
		604	0.20	0.02	
		611/1	0.25	0.07	
		611/2	0.32	0.14	
		807	1.52	0.14	
		806	0.28	0.02	
		804	0.41	0.04	
		803	0.31	0.30	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		811	0.40	0.03	
		612	0.18	0.02	
		614	0.67	0.01	
			कुल . .	9.33	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 9 जुलाई 2010.

क्र. 5842-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्रधिकारी अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौसर	ग्राम-जामलापानी ब.नं.-155 प.ह.नं.-18 रा.नि.मं.-सौसर.	0.339 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां).	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा.	जामलापानी जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग सौसर के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 12 जुलाई 2010

क्र. क्यू-कोर्ट-कले.-राजस्व-भू-अर्जन-प्र.क्र. 06-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है; अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.
		ग्राम	कुल क्षेत्रफल	सर्वे नं.	रकबा (हे. में.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भिण्ड	भिण्ड	बरही	1026	0.464	आयुक्त, मध्यप्रदेश परिवहन विभाग, ग्वालियर वास्ते प्रबंधक संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल.	भिण्ड-इटावा मार्ग पर बॉर्डर चेकपोस्ट निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि का अर्जन.
			1034	0.032		
			1025	0.210		
			1021	0.120		
			1020	0.500		
			1018	0.538		
			1019	0.560		
			1013	0.391		
			1012	0.210		
			1004	0.131		
			1010	0.290		
			1011	0.140		
			1009	0.220		
			1005	0.079		
			1006	0.120		
			1007	0.320		
			1008	0.180		
			682	0.222		
			681	0.020		
			683	0.126		
674	0.310					
676	0.009					
678	0.044					
679	0.110					
680	0.878					
1376	0.090					
1375	0.190					
1377	0.880					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1378	0.157		
			1373	0.352		
			1374	0.370		
			1372	0.247		
			1371	0.288		
			1343	0.200		
			1345	0.355		
			1344	0.370		
			1342	0.080		
			1341	0.070		
			1346	0.166		
			1340	0.010		
			1339	0.200		
			1337	0.150		
			1336	0.180		
			1335	0.111		
			1338	0.030		
			1128	0.480		
			1129	0.230		
			1130	0.137		
			1134	0.110		
			1133	0.140		
			1132	0.251		
			1135	0.066		
			1136	0.035		
			1137	0.074		
			1332	0.069		
			1334	0.020		
			1556	0.019		
			1557	0.233		
			1558	0.049		
			1022	0.142		
			1024	0.057		
			1035	0.015		
			योग . . .	<u>12.826</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 13 जुलाई 2010

क्र. 1663-भू.अ.अ.-2010-11-रा.प्र.क्र. 1-अ-82-वर्ष 09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	तेन्दूखेड़ा	पिंडरई पांजी	0.90	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ./स.) संभाग, दमोह.	अजीतपुर-खमरिया पहुंच मार्ग हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, तेन्दूखेड़ा, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, तेन्दूखेड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 13 जुलाई 2010

प्र. क्र. 55-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	खड़ेही	7.52	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत (1) सरबई डिस्ट्रीब्यूट्री नं. 2 की माइनरो सहित, (2) खड़ेही वितरक नहर की खड़ेही दायी माइनर क्र. 1 एवं 2 हेतु.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत (1) सरबई डिस्ट्रीब्यूट्री नं. 2 की माइनरो सहित, (2) खड़ेही वितरक नहर की खड़ेही दांयी माइनर क्र. 1 एवं 2 हेतु भू-अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 62-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	चक रसूला-2	2.756	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर तक पर भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 63-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	गुमानपुर नयाताल	5.433	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की गुमानपुर दांयी माइनर, कंदैला दांयी माइनर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की गुमानपुर दांयी माइनर, कंदैला दांयी माइनर तक पर भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 64-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	मिश्रनपुरवा	7.335	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की सिंगारपुर वितरण नहर, मिश्रनपुरवा बांयी नहर, बिजासन बांयी माइनर रामपुरघाट दांयी माइनर, फतेहपुर दांयी माइनर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की सिंगारपुर वितरक नहर, मिश्रनपुरवा बांयी नहर, बिजासन बांयी माइनर रामपुरघाट दांयी माइनर, फतेहपुर दांयी माइनर तक पर भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 65-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	कंदैला	15.176	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की सिंगारपुर वितरक नहर, कंदैला बांयी माइनर, गुमानपुर, नयाताल दांयी नहर, मिश्रनपुरवा बांयी नहर कंदैला दांयी माइनर, रामपुर घाट नहर की गोयरा माइनर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की सिंगारपुर वितरक नहर, कंदैला बांयी माइनर, गुमानपुर नयाताल दांयी नहर, मिश्रनपुरवा बांयी नहर, कंदैला दांयी माइनर, रामपुर घाट नहर की गोयरा माइनर तक पर भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 66-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	गोयरा	18.550	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की सिंगारपुर वितरण नहर, कंदैला बांयी माइनर, रामपुर घाट नहर की गोयरा माइनर ठकुराइनपुरवा नम्बर 2 की गोयरा बांयी सबमाइनर क्र. 1, गोयरा बांयी सबमाइनर क्र. 2, गोयरा बांयी सबमाइनर क्र. 3.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की सिंगारपुर वितरक नहर, कंदैला बांयी माइनर, रामपुर घाट नहर की गोयरा माइनर ठकुराइनपुरवा नम्बर 2 की गोयरा बांयी सबमाइनर क्र. 1, गोयरा बांयी सबमाइनर क्र. 2, गोयरा बांयी सबमाइनर क्र. 3 तक पर भू-अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 68-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	कुर्मिनपुरवा	4.200	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की कुर्मिनपुरवा माइनर गुमानपुर मरकटहार वाई नहर.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की कुर्मिनपुरवा माइनर, गुमानपुर मरकटहार वाई नहर तक पर भू-अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 69-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	अजीतपुर	0.420	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौडी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की अजीतपुर वाई माइनर.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की अजीतपुर वाई माइनर तक पर भू-अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 70-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	बछेड़ाखेड़ा	5.280	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौडी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की बछेड़ाखेड़ा दाई नहर एवं हाजीपुर दाई नहर.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की बछेड़ाखेड़ा दाई नहर एवं हाजीपुर दाई नहर तक पर भू-अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 71-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	कौथेहा	0.660	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की अजीतपुर वाई माइनर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की अजीतपुर वाई माइनर तक पर भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 72-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	बसराही	4.140	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की बसराही वाई माइनर एवं अजीतपुर वाई माइनर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की बसराही वाई माइनर एवं अजीतपुर वाई माइनर तक भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 73-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	नीबीखेड़ा	11.800	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत खड़ेही वितरक नहर की नीबेखेड़ा बाई माइनर, खडही दाई माइनर एवं सरवाई वितरक नहर क्र. 2 माइनरों सहित.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत खड़ेही वितरक नहर की नीबेखेड़ा बाई माइनर, खडेंही दाई माइनर एवं सरवाई वितरक नहर क्र. 2 माइनरों सहित भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 76-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	फतेहपुर	0.371	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की फतेहपुर दांयी माइनर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की फतेहपुर दांयी माइनर तक पर भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 77-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	रामपुर घाट	2.700	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की रामपुरघाट दांयी माइनर एवं फतेहपुर दांयी माइनर.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सिंगारपुर वितरक नहर की रामपुरघाट दांयी माइनर एवं फतेहपुर दांयी माइनर तक पर भू-अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 78-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	गुमानपुर मरकटहार	1.500	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की गुमानपुर मरकटहार बांयी माइनर.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत हाजीपुर वितरक नहर की गुमानपुर मरकटहार बांयी माइनर तक पर भू-अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 90-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चंदला	व्यास बंदौरा	8.850	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत व्यास बंदौरा वितरक नहर एवं उमरी माइनर.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत व्यास बंदौरा वितरक नहर एवं उमरी माइनर का भू-अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भावना वालिंबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 13 जुलाई 2010

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ-10-पत्र क्र 645-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	लालपुर	3.020	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-नागौद.	पावरग्रिड कापॉरेशन आफ इंडिया लि. सतना के विस्तार हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ-10-पत्र क्र 646-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
		ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	सितपुरा	7.179	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-नागौद.	पावरग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. सतना के विस्तार हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2010

क्र. 3-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			खसरा	रकबा (हेक्टर में)		
भोपाल	बैरसिया	धतुरिया	45	0.500	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी, संभाग, गंजबासौदा.	संजय सागर (बाह) परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
			48	0.800		
			42	0.200		
			38	0.200		
			37	1.000		
			54	0.450		
			90	1.000		
	112	0.100				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			113	0.200	
			114	0.100	
			93	0.400	
			94	0.300	
			144/1	0.300	
			144/2	0.360	
			243	0.200	
			242	0.200	
			244	0.450	
			246	1.000	
			644	0.150	
			योग	7.910	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय (राजस्व) बैरसिया में देखा जा सकता है।

क्र. 4-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा रकबा (हेक्टर में.)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
भोपाल	बैरसिया	पुराखाना	88	0.162	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी, संभाग, गंजबासौदा.	संजय सागर (बाह) परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
			89	0.504		
			94	0.234		
			98	0.126		
			121/2	0.106		
			120	1.400		
			229	0.300		
			254	0.490		
			371	3.00		
			372	0.500		
			377/1/ख	1.500		
			377/2	0.200		
			369	1.400		
			382	0.100		
			394	1.400		
394/447	0.500					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			398	0.100	
			401	0.200	
			403	0.600	
			योग .	12.822	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय (राजस्व) बैरसिया में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 14 जुलाई 2010

क्र. 1078-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र. 30-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन.				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	गोठान्या	26.571	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 12, राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.)	लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12 राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 19 जुलाई 2010

प्र. क्र. 2-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/ तालुका	खसरा नम्बर	कुल रकबा	अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रायसेन	सिलवानी/ इमलिया	58	0.559	0.486	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.	साजखेड़ा तालाब योजना.
		57	1.266	0.919		
		56/2	0.226	0.158		
		83	0.364	0.364		
		71	0.599	0.546		
		70	0.279	0.279		
		59	0.202	0.202		
		60	0.862	0.862		
		48	9.179	5.860		
		49	0.283	0.194		
		69	1.343	1.343		
		61	0.125	0.125		
		66	2.853	2.853		
		64	0.632	0.632		
		65	0.470	0.470		
		53	0.722	0.089		
		100	0.482	0.482		
		104	0.251	0.251		
		106	0.522	0.522		
		163	0.101	0.081		
		50/1	1.639	0.129		
		67	0.555	0.555		
		68/3	0.583	0.583		
		68/1	1.133	1.133		
		68/2	1.133	1.133		
		73/1	2.035	1.959		
		76	0.278	0.278		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		381/72/2/2	0.670	0.670		
		77	1.453	1.453		
		74,75/1/1	0.870	0.870		
		74,75/2/1	0.546	0.546		
		74,75/1/2	1.619	1.619		
		74,75/2/2	1.351	1.351		
		81/2	0.065	0.065		
		81/1	0.526	0.526		
		80/2/2/2, 90,91,92,93	0.809	0.809		
		87	0.089	0.089		
		88	0.182	0.182		
		80/1,90,91, 92, 93.	0.363	0.363		
		122/2	1.032	1.032		
		85/1	0.409	0.409		
		195	0.194	0.122		
		197/1	0.522	0.049		
		191	0.036	0.036		
		187/1	0.202	0.097		
		45,46/1	10.267	2.145		
		85/2	0.202	0.202		
		187/2	0.215	0.089		
		45,46/2	10.117	8.159		
		80/2/1, 90,91,92,93	1.214	1.214		
		80/2/2/1, 90,91,92,93	0.709	0.709		
		94	0.057	0.057		
		98/1	0.130	0.130		
		80/2/2/3, 90,91,92,93	0.809	0.809		
		97	0.097	0.097		
		98/2	0.611	0.611		
		101	0.291	0.291		
		190	0.049	0.049		
		188	0.348	0.348		
		168	0.125	0.085		
		166/2	0.352	0.352		
		107	0.065	0.041		
		122/1/2	1.250	1.250		
		123/1	0.145	0.145		
		126,127/2	0.320	0.320		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		354,355	1.546	0.558		
		108	0.065	0.028		
		110	0.024	0.012		
		202,203/2	2.221	0.271		
		196	0.450	0.057		
		170	0.093	0.049		
		392/152	0.028	0.016		
		166/1	0.081	0.081		
		165	0.008	0.008		
		164/1/1	0.024	0.024		
		162	0.036	0.020		
		164/1/2	0.085	0.085		
		164/2	0.259	0.259		
		122/1/3	1.230	1.230		
		123/2	0.146	0.146		
		126,127/3	0.263	0.263		
		129	0.057	0.057		
		122/1/1	0.666	0.666		
		126,127/1	0.230	0.230		
		122/1/1/2	0.566	0.566		
		125	0.251	0.251		
		128	0.279	0.279		
		360,361/1	0.566	0.405		
		132	0.291	0.291		
		133	0.247	0.247		
		134	0.247	0.247		
		135	0.793	0.793		
		136,367/1	1.684	1.319		
		368	0.069	0.069		
		358	0.773	0.101		
		136,367/2	1.214	1.214		
		136,367/3	1.214	0.202		
		365	0.210	0.210		
		370	4.735	4.512		
		371,372,373	1.287	1.287		
		363/1	0.097	0.097		
		307/1	0.546	0.081		
		363/2	0.041	0.041		
		364/1	0.603	0.364		
		307/2	0.898	0.198		
		309,310/1	1.982	0.041		
		376	0.223	0.223		
		377/1/1/1/	0.967	0.506		
		302	0.526	0.130		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		303	0.914	0.041		
		379/4	0.129	0.129		
		304/1	0.930	0.425		
		379/2	0.283	0.283		
		378/2	1.011	0.372		
		375	0.202	0.202		
		379/3/2/2				
		378/1/2/2	0.555	0.304		
		379/1	0.336	0.336		
		377/1/1/2	0.786	0.786		
		375	0.381	0.381		
		379/3/2/1				
		377/2	0.978	0.978		
		377/1/2	0.975	0.550		
		375,379/3/2/2	0.202	0.202		
		119,120	0.636	0.304		
		121/2/1				
		119/120/	1.416	1.133		
		121/2/2				
		192/2	0.308	0.049		
		360, 361/2	0.542	0.542		
		364/2	0.644	0.506		
		364/3	0.648	0.020		
		119,120,121/1	0.202	0.202		
		73/2	2.036	2.036		
		73/3	2.036	2.036		
		73/4	2.040	2.040		
		381/72/2/1	0.951	0.951		
		156	0.676	0.008		
		योग	115.623	82.429		
	सियरमड	588	1.882	0.337		
		595,596	2.910	0.081		
		योग	4.792	0.418		
	देवकानी	2,3/1/1	1.364	1.364		
		4/1	4.067	4.067		
		5	1.043	1.043		
		2,3/1/2	0.474	0.474		
		2,3/2	0.733	0.733		
		4/3	2.023	2.023		
		10/2	0.231	0.231		
		4/2/1	0.830	0.830		
		4/2/2	1.214	1.214		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		9/1/2/1.	1.214	1.214		
		10/1/2/1	0.607	0.607		
		9/1/2/2	1.416	1.416		
		10/1/2/2	0.405	0.405		
		9/1/1	1.777	1.777		
		9/2/2	1.214	1.020		
		9/2/1	3.193	0.668		
		9/3	4.407	1.781		
		9/4/2	1.214	1.214		
		9/4/1/1	0.809	0.648		
		9/4/1/2	2.380	2.096		
		10/1/1	1.283	1.283		
		15	0.352	0.352		
		23,24,25, 27/1	1.594	1.416		
		11	1.716	1.716		
		12	0.733	0.733		
		26/1	0.150	0.150		
		26/2	0.150	0.150		
		26/3	0.145	0.145		
		23,24,25, 27/2/3	0.534	0.061		
		16/1	1.230	0.445		
		16/2	1.230	1.230		
		42	0.372	0.061		
		44/1/1	0.607	0.251		
		45,52,53 54/1/3	0.522	0.121		
		47/1	0.659	0.659		
		47/2	0.166	0.166		
		45,52,53, 54/1/1	0.981	0.356		
		66	0.085	0.085		
		69/2	0.100	0.093		
		65/1/2	0.385	0.275		
		67	0.316	0.316		
		68	0.445	0.445		
		69/1	0.021	0.021		
		70	0.081	0.053		
		65/1/1	0.182	0.089		
		65/2	0.858	0.397		
		योग	45.512	35.894		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	आमापाती खुर्द	1/2/1	0.303	0.162		
		2/1	1.518	0.708		
		1/2/2	0.506	0.506		
		2/2	1.315	1.315		
		1/1	1.065	1.065		
		4/1	0.405	0.405		
		5	0.174	0.174		
		75,77,78,79/2	2.023	0.041		
		2/3	1.271	0.923		
		87	0.105	0.105		
		89	0.599	0.599		
		94	0.789	0.364		
		202/90	0.194	0.194		
		92/2	0.704	0.291		
		18/2	3.642	2.857		
		19	3.990	2.169		
		18/1	8.077	8.077		
		4/2	1.727	1.727		
		6	1.433	1.433		
		3/1	1.692	1.692		
		3/2	1.174	1.174		
		7	0.793	0.793		
		8	3.703	3.703		
		9	0.255	0.255		
		10/1	0.809	0.809		
		17/1	1.833	1.833		
		10/2	0.368	0.368		
		17/2	0.809	0.809		
		12	0.922	0.922		
		13/1	7.369	7.369		
		15	0.817	0.817		
		13/2	1.619	1.619		
		73	0.684	0.223		
		75,77,78,79/1	1.044	0.801		
		22	5.299	0.097		
		81/1	0.206	0.206		
		82/3/4	0.405	0.405		
		83/3/2	0.085	0.085		
		97/1/2/2	0.519	0.397		
		81/2	1.214	1.214		
		84/1	0.401	0.401		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		82/3/1	0.809	0.809		
		86/3/1/2	0.446	0.446		
		84/2	0.797	0.797		
		82/3/2	0.857	0.857		
		82/1	0.101	0.101		
		83/1	0.032	0.032		
		86/1	0.151	0.151		
		97/2	1.335	1.206		
		82/2	0.101	0.101		
		83/2	0.032	0.032		
		86/2	0.146	0.146		
		97/3	1.340	0.975		
		82/3/3	0.405	0.405		
		83/3/1	0.987	0.987		
		97/1/2/4	0.234	0.234		
		86/3/1/1	0.728	0.728		
		97/1/2/5	0.890	0.850		
		86/3/2	0.186	0.186		
		88	0.882	0.850		
		97/1/1	0.672	0.041		
		75,77,78,79/3	1.040	0.291		
		86/3/3	0.109	0.109		
		90/1	0.364	0.364		
		90/2	0.384	0.384		
		92/1	0.648	0.211		
		91	2.306	0.729		
		186/1	0.672	0.672		
		186/2	0.821	0.591		
		184/2	1.161	0.640		
		184/1	1.982	0.081		
		97/1/2/1	1.627	1.627		
		97/1/2/3	0.129	0.129		
		97/1/2/6	1.395	1.145		
		योग	85.629	66.014		
		कुल योग	251.556	184.755		

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 5 जून 2010

क्र. 620-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—अमदरा
(घ) क्षेत्रफल (निजी खाता)—0.376 हेक्टर में.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
81/2	0.261
83	0.052
33/2	0.063
योग . .	0.376

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 621-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर

(ग) नगर/ग्राम—रोहनिया

(घ) क्षेत्रफल (निजी खाता)—0.740 हेक्टर में.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
226/1ख1	0.740
योग . .	0.740

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 622-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—रैगवां
(घ) क्षेत्रफल (निजी खाता)—0.209 हेक्टर में.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
196	0.209
योग . .	0.209

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 623-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित

भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)
- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—सुहौला
(घ) क्षेत्रफल (निजी खाता)—0.314 हेक्टर में.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
12	0.314
योग . . 0.314	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 624-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)
- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—पनसोखरा
(घ) क्षेत्रफल (निजी खाता)—0.425 हेक्टर में.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
109/1	0.331
109/2	0.094
योग . . 0.425	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 625-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)
- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—गुमेही
(घ) क्षेत्रफल (निजी खाता)—0.718 हेक्टेयर में.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
21	0.718
योग . . 0.718	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 626-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)
- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर

- (ग) नगर/ग्राम—नयागांव
(घ) क्षेत्रफल (निजी खाता)—1.484 हेक्टर में।

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
6	0.052
53/2	0.627
53/3	0.805
योग . . . 1.484	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 24 जून 2010

क्र. क.-भू.अ.अ.-10-347.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—दमोह
(ग) नगर/ग्राम—जमुनिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.26 हेक्टर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
242 में से	0.13
240/1 में से	0.04
240/3 में से	0.05
240/2 में से	0.04
योग . . . 0.26	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हिण्डोरिया, बिलाई मार्ग निर्माण हेतु,

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी, दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. क.-भू.अ.अ.-10-348.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—पथरिया
(ग) नगर/ग्राम—करैया लखरौनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.82 हेक्टर।

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
367 में से	0.26
380/3 में से	0.32
370 में से	0.09
368 में से	0.07
381 में से	0.08
योग . . . 0.82	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पथरिया, किन्द्रहो, जेरठ मार्ग निर्माण हेतु,

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी, दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 1 जुलाई 2010

क्र. 2923-भू-अर्जन-2009-प्र. क्र. 13-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि

नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—बाजना
(ग) नगर/ग्राम—रावटी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.33 हेक्टर में.

सर्वे नम्बर	रकवा (हेक्टर में)
(1)	(2)
466	0.10
542	0.10
543	0.08
559	0.05
योग . .	0.33

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—थोलावाड बाँध (सरोजसरोवर) परियोजना की भीमपुरा उपनहर से निकलने वाली मायनर नहर के ऐक्सटेंशन कार्य में आने वाली भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2925-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 14-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—सैलाना
(ग) ग्राम—चमेली खेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.07 हेक्टर में.

सर्वे नम्बर	रकवा (हेक्टर में)
(1)	(2)
9	0.60
14	0.37
15	0.10
योग . .	1.07

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—कोलपुरा तालाब शीर्ष निर्माण में आने वाले भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2932-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 15-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—सैलाना
(ग) ग्राम—सेमलखेड़ा एवं झरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.23 हेक्टर में.

सर्वे नम्बर	रकवा (हेक्टर में)
(1)	(2)
13	0.16
36/2	0.07
40/2	0.09
40/3	0.11
39/1	0.12
62	0.10
63/2	0.02
61	0.09
70/1	0.11

ग्राम—सेमलखेड़ा

(1)	(2)
64	0.09
67/1	0.02
69	0.11
78/1	0.10
65	0.19
66	0.03
70/2	0.06
75	0.05
73/1	0.10
73/2	0.03
77/1	0.09
78/3	0.25
81/2	0.32
83/2	0.05
योग . .	2.36

ग्राम-झरी

30	0.02
33	0.07
34	0.15
35	0.11
36	0.10
39	0.10
40	0.16
41	0.13
42	0.08
74/1/1	0.22
74/1/3	0.05
74/1/4	0.05
61	0.02
62	0.18
68	0.02
74/1/5	0.06
77	0.08
78	0.17
79	0.06
80	0.04
योग . .	1.87
महायोग . .	4.23

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सेमलखेड़ा तालाब नहर निर्माण में आने वाले भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2930-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 16-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—सैलाना
(ग) नगर/ग्राम—आमलियाडोलखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्र—4.29 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)

ग्राम-आमलियाडोलखुर्द

45/1	0.13
45/2	0.13
23	1.79
25/7	0.70
41/3	0.40
15	0.20
25/1	0.19
28	0.50
25/8	0.25

योग . . 4.29

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सेमलखेड़ा तालाब के शीर्ष निर्माण हेतु अतिरिक्त निजी भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 2 जुलाई 2010

प्र. क्र. 2-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित

भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—मझौली टेल वितरक नहर निर्माण हेतु
 (क) जिला—जबलपुर
 (ख) तहसील—मझौली
 (ग) ग्राम—नयागांव, प. ह. नं. 43/36, नं. बं. 363
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.29 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
88	0.14
86	0.05
87/1	0.10
योग . .	0.29

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मझौली टेल वितरक नहर निर्माण हेतु.
 (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, रा. अ. बा. सागर परियोजना इकाई क्र. (1) बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश
 एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
 राजस्व विभाग
 बालाघाट, दिनांक 6 जुलाई 2010

क्र. / अ-82-वर्ष 09-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के पत्र

क्रमांक-422-एक-1-17-2010, जबलपुर, दिनांक 26 जून 2010 से अधिनियम की धारा 17 (1) सह 17 (4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—किरनापुर

(ग) ग्राम—बगडमारा एवं रजेगांव प. ह. नं. 06

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.223 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
ग्राम—बगडमारा	
(1)	(2)
82/1,2	1.714
85/1,2	0.185
86/1,2,3	0.093
87/1,2	1.206
88/1,2	0.072
92/3	0.078
150/1,2	0.027
81/1 से 10 तक	0.837
योग . .	4.212

ग्राम—रजेगांव

(1)	(2)
165/1	0.600
167/4	0.003
165/2	0.146
164	1.206
166/1,2	0.055
योग . .	2.011
वृक्ष संख्या	26 नग
कुल योग	6.223

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन बालाघाट गोंदिया राजमार्ग क्रमांक 11 में बार्डर चेक पोस्ट निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है.
 (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अक्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश	(1)	(2)
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,	43	0.06
राजस्व विभाग	51	0.28
सागर, दिनांक 7 जुलाई 2010		<u>कुल . . . 2.34</u>

प्र. क्रमांक 3 अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
 (ख) तहसील—बीना
 (ग) ग्राम—किरींद, कालूखेड़ी, मुडियानायक, भिलावली, किरावदा.
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—13.36 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
ग्राम—किरींद	
(1)	(2)
216	0.81
219	0.14
218	0.01
220	0.06
177/2	0.35
192	0.18
174	0.38
<u>कुल . . .</u>	<u>1.93</u>

ग्राम—कालूखेड़ी

25/2	0.40
27	0.04
25/1	0.33
26/1	0.08
46	0.22
45	0.06
35	0.04
55	0.02
47	0.08
48	0.20
44	0.03
41	0.30
42	0.20

ग्राम—मुडियानायक

107/1	0.21
107/2	0.26
98	0.20
81/2	0.20
38/1	0.38
38/2	0.33
38/3	0.06
18/3	0.02
36	0.05
20/1	0.12
20/4, 20/5	0.36
20/2, 20/3	0.42
19	0.82
23/11	0.08
5/1	0.18
5/3	0.77
6/1	0.73
6/2	0.07
7/1	0.08
<u>कुल . . .</u>	<u>5.34</u>

ग्राम—भिलावली

43/1	0.06
26/3	0.10
49	0.07
50, 30	0.09
51	0.21
6	0.24
7	0.48
59	0.16
8	0.35
14	0.30
29	0.11
32	0.07
33	0.06
35	0.02
25/3	0.03
31/2	0.04
34/1	0.01
34/2	0.01
39/5	0.06

(1)	(2)
58/1	0.02
58/2	0.02
58/3	0.02
58/4	0.02
कुल . .	2.55
ग्राम—किर्रावदा	
241	0.12
242	0.02
271	0.10
270	0.17
254	0.05
258	0.18
259	0.20
261	0.36
कुल . .	1.20
कुल योग . .	13.36

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बीना कुरवाई मार्ग से बीना आगासौद, कंजिया मार्ग, किर्रोद से किर्रावदा मार्ग.
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, बीना एवं जिला सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 9 जुलाई 2010

क्र. भू-अर्जन-9(अ-82)-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—मण्डला
(ख) तहसील—बिछिया

(ग) ग्राम—भीमडोगरी, प. ह. नं. 57	(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.822 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
150	0.028
147	1.310
144	2.558
140	0.231
127	0.610
130	0.160
124	1.452
111	0.543
113	0.072
153	0.086
150	0.001
149	0.003
145	0.221
143	2.580
141	0.160
126	0.420
128	0.220
110	0.253
116	0.030
154	0.111
151	0.006
161	0.120
148	0.323
156	0.011
139	0.012
142	0.360
125	0.390
131	2.062
107	0.003
115	0.216
155	0.176
152	0.078
162	0.016
योग . .	14.822

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बार्डर चैक पोस्ट निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश	(1)	(2)
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		
छतरपुर, दिनांक 13 जुलाई 2010	1094/2	0.074
	1095/1	0.070
	1095/2	0.066
	कुल . .	2.467

प्र. क्र. 36-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
 (ख) तहसील—गौरिहार
 (ग) ग्राम—महोड़कला
 (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—5.308 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)		
महोड़कला माइनर नं. 1			
146	0.138	1447/1	0.095
932	0.011	1447/3	0.034
933	0.024	1449	0.064
933/2208	0.133	1450	0.055
935	0.171	1455/2	0.029
936	0.010	1463/2	0.061
937	0.148	1464	0.060
938/1	0.096	1465	0.052
938/2	0.100	1466	0.042
947	0.044	1474	0.050
967	0.272	1477	0.112
971/1	0.095	1478	0.053
971/2	0.100	1479	0.105
972	0.018	1534	0.020
973	0.013	1535	0.216
979	0.090	1541	0.072
980	0.096	1543/1/1	0.003
981/1	0.010	1544/1	0.200
981/2	0.010	1544/2/2	0.085
991	0.470	1546	0.104
992	0.050	1560/1	0.110
993/2	0.010	1560/2	0.130
1085	0.044	1561	0.040
1094/1	0.104	1562	0.021
		1567/1	0.020
		1583	0.290
		योग . .	2.841
		कुल योग . .	5.308

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बरियापुर बांयी नहर कर उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत महोइकला माइनर नं. 1 एवं 2 हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौंडी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भावना वालिंबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाण सागर परियोजना जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 13 जुलाई 2010

क्र. 669-भू-अर्जन-06-07.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) ग्राम—बड़ेरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.233 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
257	0.177
257/385	0.056
योग . .	0.233

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना पुरवा नहर बड़ेरा माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 13 जुलाई 2010

क्र. 1279-वाचक-प्र. क्र. 19-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—वायल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.500 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
456/2	0.740
453/4	0.760
योग . .	1.500

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर आर. डी. 129788 मी. से 133630 मी. तक मुख्य नहर, डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 14 तथा डायरेक्ट माईनर क्र. 67 के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 14 जुलाई 2010

क्र. 456-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—इन्दौर
(ख) तहसील—इन्दौर
(ग) ग्राम—गढ़ी
(घ) क्षेत्रफल क्षेत्रफल—1.035 हेक्टर में.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1132 पार्ट	0.045
1117 पार्ट	0.120
1151/1 पार्ट	0.201
1151/2 पार्ट	0.153
1152 पार्ट	0.064
1153 पार्ट	0.071
1154/1 पार्ट	0.075
1154/2 पार्ट	0.083
1181 पार्ट	0.029
1182 पार्ट	0.112
1185 पार्ट	0.040
1186 पार्ट	0.042
योग . .	1.035

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नाबार्ड योजना के अन्तर्गत ग्राम गढ़ी तालाब की नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राघवेंद्रसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 14 जुलाई 2010

प्र. क्र. 3-अ-82-09-10-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक -एक सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) नगर/ग्राम—धनवई
(घ) क्षेत्रफल—1.22 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
632	0.15
638	0.03
634	0.02
635	0.60
639	0.10
640	0.32
योग . .	1.22

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 17-अ-82-09-10-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर

- (ग) नगर/ग्राम—चक महाराजपुर
(घ) क्षेत्रफल—4.110 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)
37	0.27	0.02
38	0.26	0.07
40	0.37	0.09
82	0.31	0.16
72	0.79	0.18
74	0.24	0.20
75	0.29	0.08
76	0.25	0.20
77	0.45	0.050
78	0.60	0.280
80	0.63	0.480
83	0.32	0.15
84	0.31	0.21
235	0.20	0.20
237	0.58	0.09
238	0.66	0.20
236	0.71	0.45
239	0.31	0.15
240	0.21	0.08
241	0.50	0.25
242	0.13	0.07
245	0.34	0.12
246	0.50	0.32
248	0.21	0.01
योग . .		<u>4.110</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि अर्जन.
(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 14 जुलाई 2010

क्र. 1072-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित

भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—राजपुर

(ग) ग्राम—रणगांव रोड़

(घ) लगभग क्षेत्रफल—20.103 हेक्टर में.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
46/4	
46/6	
46/7	4.570
46/8	
46/13	
46/10, 47/1	0.927
47/2	0.440
49, 50/2	0.815
55/2/2, 56/2	0.130
55/3	0.025
57	0.146
55/4क, 55/5, 59/8	0.250
58/1	0.910
59/9	0.840
60/1/1	0.955
60/1/2	0.130
111/2/1	0.315
111/2/2	0.550
114/3	0.025
114/2क, 115/1, 118/6ख	1.714
114/2ख	
115/2	
116/1	1.220
118/6क	
118/6ग	
118/7	
118/8	
115/3	0.254
118/2	0.070
218/4	0.210

(1)	(2)
118/9/3	0.220
118/9/6	0.300
118/9/4	0.030
118/9/5	0.410
118/15, 118/16	0.240
208/1, 209/2	0.075
208/7	0.100
214/7	0.040
208/8	0.139
214/2, 213,	0.190
219/2, 220/2/1/1	0.175
213, 219/2, 220/2/3/1	0.134
213, 219/2, 220/2/5/4	0.450
214/3	0.080
213, 219/2, 220/2/2/1	0.235
213, 219/2, 220/2/3/2	0.506
213, 219/2, 220/2/1/2	0.065
213, 219/2, 220/2/1/3	0.065
213, 219/2, 220/2/1/4	0.075
213, 219/2, 220/2/2/3	0.115
214/4, 218/3	0.348
218/2	1.570
219/1	0.045
योग . .	<u>20.103</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12, राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 27-अ-82-2009-10-क्र. 1073-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—राजपुर

(ग) ग्राम—बिलवानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.208 हेक्टर में.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
256	0.285
263/1	0.580
264/3	0.185
266/1	0.025
266/2,	0.270
265/4, 266/3	0.320
268/1	0.035
268/2	0.560
306/1/2	0.058
305/2, 306/2	0.220
314/1	0.505
314/2	0.225
314/3	0.550
314/5	0.500
314/6	0.295
314/7	0.005
317	0.035
315/3, 318, 322/3	0.665
322/4, 323/3	0.265
323/2	0.625
योग . .	<u>6.208</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.	452/2, 463/5 463/7 ख, 651	0.285 0.028
नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.	652/2 453/1 453/4	0.070 0.602
प्र. क्र. 28-अ-82-09-10-क्र. 1074-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-	453/6 455 463/7 क, 652/1 454, 463/9 653 658	0.280 2.015 1.630 3.010 0.853 0.558

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी	665	0.605
(ख) तहसील—राजपुर	667	0.520
(ग) ग्राम—इन्द्रपुर		योग . . . 17.537
(घ) लगभग क्षेत्रफल—17.537 हेक्टर में.		

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
423/2	0.442
423/8, 424	0.605
423/9	0.789
439/7	0.025
439/8	0.663
439/9	0.332
439/10	0.510
442/2	0.345
442/4 क, 443/1 ख	0.679
443/2	0.375
443/4	0.290
443/5	0.215
446/4	1.470

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12, राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 29-अ-82-09-10-क्र. 1075-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—राजपुर
(ग) ग्राम—लिम्बई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—25.415 हेक्टर में.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)	(1)	(2)
3/5	0.093	118/12	0.110
3/8	0.461	118/13	0.210
4/2	0.313	118/14	0.210
5/1/1/क	0.070	118/15	0.970
5/1ग, 6/2क, 7/1 क	1.125	118/16	1.724
5/2, 7/2, 7/3	0.364	120/1	1.100
7/4, 27/2			
5/6, 6/6, 7/8	0.175	121/1, 122/1	0.100
17/1	0.420	121/8	3.217
17/2	0.795	125/6	0.600
19/1/1	0.600	126	0.130
19/1/2	0.355	149/2/2	0.081
19/1/3	0.295	149/3	0.198
19/1/4	0.055	149/5	0.057
19/3	0.416	157/1, 158/2	1.080
23/1	0.650	187	2.200
23/3	0.470	230/1 क	0.500
23/6	0.500	231/1	0.227
27/1	0.935	231/2	0.421
27/3	0.075	231/33	
27/4	0.263	231/22	0.065
28/1	0.227	231/23	0.081
28/2, 28/3	0.800	231/24	0.162
29/11	0.160		
43/10	0.555		
44/1	0.607		
118/1	0.138		
118/4	0.515		
118/6	0.020		
118/8	0.190		
118/9	0.110		
118/10	0.110		
118/11	0.110		
		योग . .	<u>25.415</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12, राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.